भू–राजस्व अधिनियम की धारा–34 के अन्तर्गत नामन्तरण (Mutition) की कार्यवाही(SOP)

आवेदक / यूजर

↓

Step 1

↓

Step 2

आवेदक आवेदन विभाग की वेबसाई पर या तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से या एस0आर0ओ0 / कानूनगो से प्राप्त रजिस्ट्री / आख्या के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही कर सकता है।

↓

Step 3

आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार के पेशकार सवालखानी पंजीका में दर्ज करेगा एवं निर्धारित 35 दिन का अंकन कर पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय जैसे तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार को 02 दिन में दे देगा।

↓

Step 4

पत्रावली प्राप्त होने पर पेशकार / आर0के0 आर0–5 / मिसलबन्द पंजीका में दर्ज करेगा और 35 दिन का नोटिस तैयार कर तामीलकर्ता को 02 दिन में उपलब्ध करायेगा।

↓

Step 5

तामीलकर्ता नोटिस तामील की कार्यवाही करके अपनी रिपोर्ट सहित 07 दिन में पेशकार / आर0के0 को वापस करेगा।

↓

Step 6

पेशकार / आर0के0 पटवारी से पत्रावली पर 10 दिन में आख्या प्राप्त करेगा।

↓

Step 7

तहसीलदार निर्धारित 35 दिन पूर्ण होने पर एवं कोई आपत्ति दर्ज न करने पर नामान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार निस्तारण करेगा। आपत्ति आने पर अगली तिथि नियत करेगा, जो अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत सुनवाई कर वाद का निस्तारण करेंगे।

↓

Step 8

90 दिन के बाद नामान्तरण की कार्यवाही करने वाले आवेदकों से नियमानुसार प्रपत्र संख्या–43ए(1)(प्रस्तर–417 एवं 448) के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी आदेश पारित करते समय तावान (विलम्ब शूल्क) नियत करेगा। उक्त धनराशि पेशकार / आर0के0 द्वारा पक्षकार से 03 दिन में जमा करायेगा।

↓

Step 9

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर सम्बन्धित पेशकार / आर0के0 पीठासीन अधिकारी के आदेश की 02 प्रति प्रमाणित कर अविलम्ब आर0के0 को उपलब्ध करायेगा तथा आर0के0 तत्काल आर0–6 पंजीका में दर्ज करेगा तथा 01 प्रति कम्प्यूटर में दर्ज करने हेतु कम्प्यूटर आपरेटर को उपलब्ध करायेगा। उक्त कार्यवाही 02 दिन में करेगा।

↓

Step 10

समस्त कार्यवाहियां पूर्ण होने पर निस्तारित नामान्तरण की पत्रावलियों को राजस्व अभिलेखागार में 30 दिन में संचित करेगा।